

तत्काल/तिथिबद्ध

स्मरण-पत्र-III

(Through e-mail only)

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) तथा ITI (Footwear and Leather Goods) Rewari (हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक: T-4/25%/निर्घनता/योग्यता/Stipend/2017-18/ 22904
दिनांक: 6-11-18

विषय:-


Budget Head Development of ITIs P-01-18-2230-03-003-64-51 के Object Head 12-Scholarship and Stipends तथा Industrial Training Institute P-01-18-2230-03-003-99-51 के Object Head 12-Scholarship and Stipends के तहत State Scheme "General Scholarship to 25% on merit-cum-^{means based} Quarter wise पूरा ना होने बारे।

उपरोक्त स्टेट स्कीम में Beneficiaries को स्कॉलरशिप देने बारे निदेशालय द्वारा समय-समय पर पत्र कं० नं० T-4/25%/GC/Stipend/2017-18/16265-66, 17482-83 & 18431-32 दिनांक 07.08.2018, 27.08.2018 व 10.09.2018 द्वारा दिये जाते रहे हैं। परन्तु योजना शाखा के पत्र कं० TP1-3/Budget Distribution/2018-19/9779-80 दिनांक 27.04.2018 व 05.10.2018 से अवगत हुआ है कि इस स्कीम में केवल राशि का 8.60 प्रतिशत ही बजट प्रयोग हो पाया है जबकि पिछले दो Quarter में 45 प्रतिशत राशि का प्रयोग होना चाहिए था।

अतः आप सभी को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र उक्त स्कीम में छात्रवृत्ति के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करते हुए अदायगी करना सुनिश्चित करें। अदायगी की गई राशि व पात्रों की संख्या erp.portal पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की प्राथमिकता आधार पर पालना सुनिश्चित करें।

नोट:- उपरोक्त सभी संस्थानों के मुखिया निजी रूची लेते हुए उपरोक्त छात्रवृत्ति को समय पर वितरित करना सुनिश्चित करें।




सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-I)
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक T-4/25%/निर्घनता/योग्यता/Stipend/2017-18/ 22905

दिनांक: 6-11-18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. उप-निदेशक (योजना)।
2. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों। निर्देश दिये जाते हैं कि अपने स्तर पर निजी रूची लेते हुए उक्त कार्य को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
3. नोडल अधिकारी, वैबसाईट (मुख्यालय)। विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-I)
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

CC:

1. PS to ACS&IT
2. PA To DSD&IT